

To Registered post
The District Judge

32 Jhansi

NO 16724/IV-2918/Adm/A dated 14/10/06

Subject - Transfer T.A bill amounting to Rs 10,691=00 for the month of June 2004 of Sri Babu Ram, Civil Judge (Junior Division) Mauranipur, Jhansi consequent upon journey performed by him Varanasi to Mauranipur, Jhansi

Sir

With reference to your letter NO 605/XV dated 4-5-2006 on the above subject I am directed to say that Court has been pleased to accord preaudit sanction of T.A bill amounting to Rs 10,691=00 for the month of June 2004 of Sri Babu Ram, Civil Judge (Junior Division) Mauranipur Jhansi.

I am therefore to ~~request you~~ return herewith aforesaid original T.A bill of Sri Babu Ram alongwith its enclosures and to request you kindly to make payment of said T.A bill through the Treasury offices, Jhansi under intimation to this Court.

Encd - as above

33

NO 16725/IV-2918/Adm/A dated 14/10/06

Copy forwarded for information and necessary action to -

- 1 - The Treasury offices, Jhansi
- 2 - Sri Babu Ram, Civil Judge (Junior Division) Mauranipur, Jhansi

Jowalava
Deputy Registrar

DR(M)

May kindly see the order of Hon. Mr Justice M.C. Jain dated 12-10-06

and issue the order
Jowalava
19.10.06

Jowalava
14/10

Issue
Jowalava
26/10/06

6-5-06

Form-79

6918

प्रेमक,

प्रभारी जिला न्यायाधीश,
झाँसी ।

Reg. No.	IV/2918
Serial No.	25

सेवा में,

श्री कोसी श्रीवास्तव
डिप्टी रजिस्ट्रार,
मातृनीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

19-5-06

पत्रांक - 605/XV

दिनांक- 4/5/06

विषय:- स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय/मु- 11931=00, श्री बाबूराम
सिविल जज [पू० डि०], मऊरानीपुर, झाँसी । [सम्बन्धित यात्रा
जो उनके द्वारा बाराणसी से मऊरानीपुर के लिये की गयी ।

महोदय,

आप अपने उपर्युक्त विषयक पत्र सं०- 5276/वतुर्थ -2918/
एडमिन -ए- दिनांक- 21-4-06 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें
जिसके अनुसार यात्रा करने वाले अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि
वे स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देयक में सुधार कर पुनः यात्रा भत्ता देयक
अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करें ।

अतः सम्बन्धित अधिकारी श्री बाबूराम द्वारा अपने
यात्रा भत्ता देयक में माता- पिता से सम्बन्धित दावा विलुप्त कर यात्रा
भत्ता देयक में सुधार कर प्रस्तुत किया गया है ।

अतः श्री बाबूराम सिविल जज [पू० डि०], झाँसी का
स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देयक, उनके द्वारा सुधार करने के उपरान्त अग्रिम
कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

आदर सहित ।

संतुष्ट-

मूल स्थानान्तरण देयक यात्रा
भत्ता मय संलग्न

महोदय
[Signature]
प्रभारी जिला न्यायाधीश,
झाँसी ।

1918
S. A. D. M. 1/1/1

D. R. M.
06-05-06

S. Pantay
[Signature]

RECEIVED

Encl (3)

27-11-06

1 copy

18389

IV/2918
36

27-11-06

30-11-06

28-11-06

18-12-06

प्रेषक,

जिला न्यायाधीश,
बदायूँ।

सेवा में,

जिला न्यायाधीश,
बदायूँ।

कृपार्थ:-

दिनांक:-

विषय:-

मूल स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देयक १।४ - महेंद्र कुमार भार्गव सिविल जज सी०डी०, बासी धरनाथ मुंशी 12,211=00 रु० की बाहराम गिचिल जज कासगंज जिला न्यायाधीश धरनाथ मुंशी 10,691=00 का उगतान हेतु प्रेषण।

महोदय,

original 2513

US68

S.O. Admin/H/N

22 (m)
20-11-06

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय के क्रमशः पत्र संख्या- 16728/धार-2513 / रजिस्ट्रार २०/ दिनांकित 14-11-2006 एवं 16724/धार-2918/रजिस्ट्रार २० / दिनांकित 14-11-2006 के द्वारा उपरोक्त दोनों अधिकारियों के मूल स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देयक पूर्व तम्परोक्षा उपरान्त प्राप्त हुए। जिसका उगतान किया जाना है। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उपरोक्त दोनों अधिकारियों का स्थानान्तरण जनपद बदायूँ के तहसील हो गया है। दोनों देयक मूल रूप से मिलाकर सही उगतान कराये जाने हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दोनों स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देयकों का उगतान सम्बन्धित दोनों अधिकारियों को कराने का कष्ट करें।

भवदीय

जिला न्यायाधीश, बदायूँ।

संलग्नक:-

उपरोक्तानुसार
पत्रांक: 2220/06

दिनांक: 21-11-06

- 1- श्री जे.पी. निम्न को सूचनाार्थ प्रेषित:-
श्री के.वि.ओ.बी.वास्तव उप निज न्यायक माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई न्यायालय।
- 2- श्री महेंद्र कुमार भार्गव, अपर जिला जज दूतगामी न्यायालय, बदायूँ।
- 3- श्री बाहराम गिचिल जज सी०डी० कासगंज जिला-बदायूँ।

DRD,

जिला न्यायाधीश, बदायूँ।

Pankaj
WKS
21/12/06

File
21/12/06

For information
may file?

PK Srivastava
19-12-06

WKS
21/12/06